...य की ... डाक द्वारा ... अनुमत. ... पत्र
भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

जी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी 1987--पौष 23, शके 1908

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १२ जनवरी १९८७

क्र. ४५५-२१-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक ९ जनवरी १९८७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. शुक्ला, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् १९८७.

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १९८६.

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. जल अभावग्रस्त क्षेत्र की घोषणा.
४. अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में के जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जल लेने का प्रतिषेध.
५. आदेश का अध्यारोही प्रभाव.
६. अनुज्ञा के बिना नलकूप खोदने का प्रतिषेध.
७. अपील.
८. पुनर्विलोकन.
९. अपराध.
१०. नियम बनाने की शक्ति.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् १९८७.

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १९८६.

[दिनांक ९ जनवरी, १९८७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ जनवरी, १९८७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

जनता को घरेलू प्रयोजनों के लिये जल का प्रदाय बनाये रखने के उद्देश्य से जलस्रोतों में जल का परिरक्षण करने तथा नल कूपों के खोदे जाने का विनियमन करने के लिये तथा तद्नुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) जल के उपयोग के संबंध में "घरेलू प्रयोजनों" से अभिप्रेत है पीने, नहाने, धोने, साफ सफाई करने तथा दिन-प्रतिदिन के अन्य क्रियाकलापों के लिये जल का मनुष्यों द्वारा उपभोग और उसके अन्तर्गत है घरेलू पशुओं के अनुरक्षण के लिये उसका तत्सदृश प्रयोजनों के लिये उपयोग ;

(ख) "नल कूप" से अभिप्रेत है जलोढ़ या चट्टानी क्षेत्रों में लम्बवत्मकता की विहित सीमाओं के भीतर उपयुक्त गहराई तक जमीन को छेद कर बनाया गया बेधछिद्र (बोरहोल) जिसे, अपेक्षित प्रकार के घरेलू पाइप (हाउसिंग पाइप) डालकर, आवश्यकतानुसार रेत या कंकरीट से जमाते हुये, शारीरिक संक्रिया से भिन्न यांत्रिक साधनों की सहायता से, भूमिगत जल खींचने के प्रयोजन के लिये निर्मित किया गया हो;

(ग) "जल अभावग्रस्त क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जिसे धारा ३ के अधीन जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया हो ;

(घ) "जल स्रोत" से अभिप्रेत है ऐसी नदी, बांध, नहर, जलधारा, झरना (फाउन्टेन) झील, सोता (स्प्रिंग), जलाशय (टैंक) वंधान (एनीक्ट्स) या कुआं जिससे राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जल प्रदाय स्कीम के अधीन जनता को घरेलू प्रयोजनों के हेतु जल प्रदाय करता है और उसके अन्तर्गत ऐसे अन्य जल स्रोत होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त अधिसूचित किये जायें, किन्तु मध्यप्रदेश इर्रीगेशन एक्ट, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१) की धारा ३ में यथा परिभाषित "केनाल" (नहर) उसके अन्तर्गत नहीं होगी.

जल अभावग्रस्त क्षेत्र की घोषणा.

३. यदि कलक्टर की यह राय हो कि घरेलू प्रयोजनों के हेतु—

(क) जनता को जल का प्रदाय बनाये रखने या बढ़ाने के लिये; या

(ख) जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये; या

(ग) जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने के हेतु जल प्राप्त करने के लिये;

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, जिले के ऐसे क्षेत्र को, ऐसी कालावधि के लिये, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा और तदुपरि इस अधिनियम के उपबंध उक्त आदेश के प्रवर्तित रहने के दौरान ऐसे क्षेत्र को लागू होंगे.

Scanned by CamScanner

४. (१) मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में तथा तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, संबंधित कलक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में के किसी भी जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या घरेलू प्रयोजन को छोड़ किसी अन्य प्रयोजन के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा.

अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में के जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जल लेने का प्रतिषेध.

(२) उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबंधित कलक्टर को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए.

(३) कलक्टर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, अनुज्ञा देने से लोकहित में इंकार कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे जल स्रोत से जनता को घरेलू प्रयोजनों के हेतु जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल का परिरक्षण करना आवश्यक है.

(४) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अनुज्ञा—

(क) इस शर्त के अध्यधीन होगी कि कलक्टर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, आदेश द्वारा, जल स्रोत से ऐसी कालावधि के लिये, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, जल के लिये जाने का प्रतिषेध कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे जल स्रोत से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान जल के लिये जाने का लोकहित में प्रतिषेध करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि ऐसे जल स्रोत से जनता को घरेलू प्रयोजनों के हेतु जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिये जल का परिरक्षण किया जा सके; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन होगी जो विहित की जायें.

(५) कोई भी व्यक्ति, उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन पारित किये गये आदेश के परिणामस्वरूप अपने द्वारा उठाई गई हानि के लिये राज्य सरकार से नुकसानी का दावा करने का हकदार नहीं होगा, तथापि जल लेने के लिये कोई भी प्रभारों का ऐसे व्यक्ति द्वारा उस कालावधि के लिये संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके दौरान उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन का आदेश प्रवृत्त रहता है, चाहे ही किसी ऐसी बात के होते हुए भी जो इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी भी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो.

५. धारा ३ के अधीन का कोई भी आदेश तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी भी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा.

आदेश का अध्यारोही प्रभाव.

६. (१) कोई भी व्यक्ति, कलक्टर की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिये, नलकूप नहीं खोदेगा.

अनुज्ञा के बिना नलकूप खोदने का प्रतिषेध.

(२) उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन कलक्टर को या उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाये.

(३) उपधारा (१) के अधीन की कोई अनुज्ञा व्यतिकरण-परिक्षेत्र (जोन ऑफ इन्टरफियरेन्स) के भीतर नहीं दी जायेगी यदि उस नलकूप के जिसके कि लिये अनुज्ञा चाही गई है, खोदे जाने के कारण ऐसे परिक्षेत्र में विद्यमान किसी नलकूप से, जो जनता को घरेलू प्रयोजनों के हेतु जल प्रदाय करने के प्रयोजन के लिये यथास्थिति राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सन्निमित किया गया हो या अनुरक्षित किया जाता हो, जल के प्रदाय पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना हो.

(४) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन होगी जो विहित की जायें.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "व्यतिकरण-परिक्षेत्र" से अभिप्रेत है उपधारा (३) में निर्दिष्ट विद्यमान नलकूप से एक सौ पचास मीटर की त्रिज्या के भीतर का क्षेत्र.

७. कोई भी व्यक्ति, जो धारा ४ के अधीन कलक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित हो, संभाग आयुक्त को ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए, अपील कर सकेगा जिसमें ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संबंध में आपत्ति के आधारों का संक्षिप्ततः वर्णन किया जाएगा.

अपील.

पुनर्विलोकन. ८. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कलक्टर स्वप्रेरणा से या व्यथित पक्षकार के आ[वेदन पर किसी] आदेश का, जो उसके स्वयं के द्वारा या उसके पद-पूर्ववर्तियों में से किसी के भी द्वारा पारित किया [गया हो,] पुनर्विलोकन किसी भी समय में कर सकेगा जबकि कोई अपील न की गई हो और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु—

(एक) किसी भी आदेश में तब तक कोई फेरफार नहीं किया जाएगा या उसे उलटा नहीं जाएगा [जब तक] कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में सुनवाई की जाने की [सूच]ना दे दी गई हो;

(दो) किसी भी ऐसे आदेश का, जिस पर से अपील की गई हो, तब तक पुनर्विलोकन नहीं किया [जाएगा] जब तक कि ऐसी अपील लम्बित हो.

शास्ति. ९. धारा ३ या धारा ४ के उपबंधों का उल्लंघन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

नियम बनाने की शक्ति. १०. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, पूर्व प्रक[ाशन] की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, बना सकेगी.

(२) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में नि[म्न]लिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके लिए फीस;

(ख) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन अनुज्ञा [दी] जाएगी;

(ग) धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके लिए फीस; और

(घ) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यधीन धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन अनुज्ञा दी जाएगी.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

भोपाल, दिनांक १२ जनवरी १९८७

क्र. ४५६-२१-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम १९८६ (क्रमांक ३ सन् १९८७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. डी. शुक्ला, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 of 1987

THE MADHYA PRADESH PEYA JAL PARIRAKSHAN ADHINIYAM 1986.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Declaration of water scarcity area.
4. Prohibition to take water for irrigation or industrial or any other purpose from water source in water scarcity area without permission.
5. Overriding effect of the order.
6. Prohibition of digging of tube wells without permission.
7. Appeal.
8. Review.
9. Offences.
10. Power to make rules.

Scanned by CamScanner